

राजस्थान सरकार  
राजस्व ग्रुप-6 विभाग

क्रमांक:- 98/17 राज-6/02/12

जयपुर, दिनांक:- 12/9/05

समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान।

विषय:- दूरभाष का टावर उपयोग के प्रयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार यह है कि दूरभाष कंपनियों द्वारा छालेदारों भूमि में दूरभाष टावर लगाये जा रहे हैं इस संबंध में कुछ जिला कलेक्टर द्वारा यह मार्गदर्शन ताही गया है कि इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जावे या औद्योगिक प्रयोजन। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दूरभाष कंपनियों द्वारा छालेदारों भूमि में टावर लगाने के कार्य को वाणिज्यिक प्रयोजन मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की जावे।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूक्तार्थ एवं आकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निबन्धक ; राजस्व मंडल , जयपुर ।
2. समस्त उपशासन सचिव, राजस्व विभाग